


अज अदालत – संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
लाली, मखनराम वगैरह –बनाम– जलालिया, गंगूराम वगैरह

किस्म मुकदमा : अपील सं. 02/2022 अन्तर्गत धारा-33 डी.पी.एक्ट
(जीसीएमएस संख्या: 2022/)



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	90 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जाती हुए
29.08.2022	<p>पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। पत्रावली पर प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। यह अपील कलक्टर कम चीफ सैटलमेंट कमिश्नर (पुनर्वास) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 01.06.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। प्रथमतः पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>अभिभाषक अपीलांट ने धारा 33 डी.पी. एक्ट 1954 के तहत इस न्यायालय में पिटीशन प्रस्तुत की है। राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार भारत सरकार द्वारा डी.पी.(सी एंड आर) एक्ट 1954 के डिस्प्लेस्ड परसन्स क्लेम्स एंड अदर लॉज रिपिल (निरस्त) एक्ट 2005 द्वारा किया जा चुका है। इसमें कोई सेविंग क्लोज नहीं रखा गया है। अतः पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: right;"> संभागीय आयुक्त बीकानेर</p>	

